

पुस्तक

श्री ग्याम सुन्दर जग्गिहोमी,
संयुक्त तमिळु,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 तमिळु केन्द्र,
पुणे विहार, नई दिल्ली।

संख्या 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक- 31 जुलाई, 2000

विषय- शिक्षार्थ पत्रिका स्कूल, सी.गोविन्द मेनीताम को सी.पी.एस.0850 नई दिल्ली से प्र
सन्निकृत हेतु अनायास प्रमाणित दिने जाने के संबंध में।

सहायक,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षार्थ पत्रिका स्कूल दो
नव मेनीताम को सी.पी.एस.0850 नई दिल्ली से प्रसन्निकृत हेतु अनायास प्रमाणित दिने
जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनायास नहीं है:-

- 111 विद्यालय की प्रेषित सी.पी.एस. की तमिळु तमिळु पर प्रतीतिकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद
द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिये निर्धारित गुणक से
अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा।
- 141 तमिळु द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। और
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रमाणित शिक्षा परिषद
से प्राप्त है तब विद्यालय की प्रमाणित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा
परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उत्तर प्रदेश
परिषदों की प्रमाणित प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रदान प्रमाणित तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतंत्र
प्राप्त हो जायेगा।
- 151 तमिळु शिक्षा एवं प्रमाणित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
कर्मचारियों के कर्मचारियों की अनुसूचित क्षेत्रानुसार तथा अन्य भत्तों के कम क्षेत्रानुसार
तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगा।
- 161 कर्मचारियों की सेवा भी बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त राजकीय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का
सम अवसर कराये जायेगा।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तमिळु तमिळु पर जो भी जोड़ना निर्णय किये जायेगे
तमिळु उनका ध्यान रहेगी।
- 181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रमाण/संकेतों में रखा जायेगा।

191 उक्त जाँ में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुक या दिक्कत आ करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुदरत अन्तर्गत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

भवदीय,

। ग्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव।

पुं०-4083 III/15-7-99 तद दिनांक-

पुस्तिकापि निम्नलिखित को सुवनाथ एवं अनावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मध्यम स्तरीय शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मंडल, भेनीताल।
3. शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, भेनीताल।
4. निरीक्षक, अग्नि भारतीय विद्यालय, उ०पु०, इनकनड।
5. प्रबन्धक, सिद्धार्थ वैदिक ईश्वर होमिड भेनीताल।

आशा है,



। ग्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव।

९